




पटना विश्वविद्यालय  
PATNA UNIVERSITY

**SEMESTER – III**

**CC – 12**

**Unit – II**

**TOPIC- " Franklin D. Roosevelt" ( VOL-1)**



**Vetted By:**

प्रो. ( डॉ ) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

सम्पर्क: 9835463960

डॉ राजेश कुमार

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

सम्पर्क 9430934482

जब अमेरिका विश्व आर्थिक संकट से काफी प्रभावित था, देश के उद्योग धंधे पिछड़ते जा रहे थे तथा बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति **1932** ईस्वी में बने। इन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया और अमेरिका के विकास के लिए उन्होंने एक नई नीति अपनाई, जिसे इतिहास में "न्यू डील" के नाम से जाना जाता है।

रूजवेल्ट राष्ट्रपति बनने के पहले कई महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुका था। वह न्यूयार्क राज्य की सीनेट का सदस्य, युद्ध काल में नौसेना का सहायक सचिव और फिर दो बार न्यूयार्क राज्य का गवर्नर रह चुका था। जिसने यी उसकी अनुभव की एक लंबी पृष्ठभूमि निर्मित की थी। रूजवेल्ट प्रारंभ से ही सिद्धांत से अधिक अपने अनुभवों और संभावित कामों पर बल दिया। उसकी आर्थिक योजना नवीन थी जिसका उद्देश्य तत्कालीन समस्या से अमेरिका को निजात दिलाकर एक मजबूत आधार देना था। इसके लिए रूजवेल्ट ने सरकारी प्रभूसत्ता तथा अधिकार का इस्तेमाल किया।

इसके अलावा इसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया, उनकी दलीय, वैचारिक या अन्य चीजों से कुछ लेना देना नहीं था। वह केवल उसकी योग्यता पर उसको विश्वास था।

रूजवेल्ट ने अपनी नीतियों में अमेरिकी नागरिकों के हितों पर विशेष बल दिया। इसने न्यू डील की नीति अपनाई जिसका प्रमुख उद्देश्य अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखते हुए आर्थिक मंदी से छुटकारा पाना था। इसके लिए मुद्रा की अवनति को रोकना और दिवालियापन को समाप्त करना, व्यापारियों में फिर से विश्वास जगाना, वस्तुओं के मूल्य स्तर को ऊंचा उठाना, श्रमिक के वेतन को वाढ़ाना, उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बढ़ाने का फैसला इत्यादि, आवश्यक था। इसके अलावा सरकार द्वारा मंदी

पीड़ितों को सीधे सहायता देने के साथ साथ ऐसी केंद्रीय कामों के लिए धन भी उपलब्ध कराना था जो बड़े स्तर पर रोजगार, उपभोग और उत्पादन के स्रोत बन सके।

अगर देखा जाए तो न्यू डील को दो काल खंडों में बाटकर देखा जा सकता है, पहला आर्थिक मंदी की समस्या के समाधान से संबंधित था और दूसरा भाग आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने से संबंधित था।

इसके अलावा इसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया, उनकी दलीय, वैचारिक या अन्य चीजों से कुछ लेना देना नहीं था। वह केवल उसकी योग्यता पर उसको विश्वास था।

रूजवेल्ट ने अपनी नीतियों में अमेरिकी नागरिकों के हितों पर विशेष बल दिया। इसने न्यू डील की नीति अपनाई जिसका प्रमुख उद्देश्य अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखते हुए आर्थिक मंदी से छुटकारा पाना था। इसके लिए मुद्रा की अवनति को रोकना और दिवालियापन को समाप्त करना, व्यापारियों में फिर से विश्वास जगाना, वस्तुओं के मूल्य स्तर को ऊंचा उठाना, श्रमिक के वेतन को वाढ़ाना, उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बढ़ाने का फैसला इत्यादि, आवश्यक था। इसके अलावा सरकार द्वारा मंदी पीड़ितों को सीधे सहायता देने के साथ साथ ऐसी केंद्रीय कामों के लिए धन भी उपलब्ध कराना था जो बड़े स्तर पर रोजगार, उपभोग और उत्पादन के स्रोत बन सके।

रूजवेल्ट प्रारंभ से ही सिद्धांत से अधिक अपने अनुभवों और संभावित कामों पर बल दिया। उसकी आर्थिक योजना नवीन थी जिसका उद्देश्य तत्कालीन समस्या से अमेरिका को निजात दिलाकर एक मजबूत आधार देना था। इसके लिए रूजवेल्ट ने सरकारी प्रभूसत्ता तथा अधिकार का इस्तेमाल किया।

अगर देखा जाए तो न्यू डील को दो काल खंडों में बाटकर देखा जा सकता है, पहला आर्थिक मंदी की समस्या के समाधान से संबंधित था और दूसरा भाग आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने से संबंधित था।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका के विकास के लिए कई नए कानूनों का निर्माण किया इन नए कानूनों में सबसे प्रमुख कानून था, उद्योग तथा श्रम एवं कृषि से संबंधित कानून।

नये कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ में व्यापार के प्रति सहयोग की नीति अपनाई गई। उद्योग तथा श्रम की स्थितियों में सुधार हेतु **1933** में नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट बनाया गया। इसका उद्देश्य मूल्यों को स्थिर करना, व्यापारियों के बीच गलत प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना तथा उन्हें सरकारी संरक्षण प्रदान कर उन्हें फिर से विश्वास पैदा करना था इस कानून के माध्यम से उद्योग पतियों को भी अपने श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं या रियायतें देने को कहा गया। इसी तरह श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने की कुछ और उपाय किए गए। जुलाई **1935** में पारित कानून, जिसके द्वारा श्रमिकों के अधिकारों की पुष्टि की गई और उसकी देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय श्रमिक बोर्ड की स्थापना की गई। उद्योगों में श्रमिकों की स्थिति में सुधार की दृष्टि से **1938** में लेबर स्टैंडर्ड एक्ट पारित किया गया। इस प्रकार श्रमिकों की कार्यविधि, न्यूनतम वेतन और उनकी उचित देखभाल आदि को प्रशासनिक बंधनो द्वारा सुनिश्चित किया गया तथा अंतर राज्य एवं सभी उद्योगों में बाल श्रमिकों का प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया।

कृषि एवं कृषकों की अवस्था में सुधार की दृष्टि से **1933** ईस्वी में ही एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट पारित किया गया जो मूल कार्यक्रमों में दूसरा प्रमुख कार्यक्रम था। इसके द्वारा कृषि उत्पादन पर नियंत्रण और उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की पहल की गई। कृषि क्षेत्रों में कटौती कर कम उत्पादन करने के लिए कहा गया और इससे होने वाली क्षति की पूर्ति के रूप में किसानों को सरकार से ध्यान

देने की व्यवस्था की गई। कृषि उत्पादों तथा उद्योगों में निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में समानता स्थापित करने का भी नारा दिया। इसी प्रकार कृषि उत्पादन में कटौती के परिणाम स्वरूप जो कृषक भूमिहीन अथवा उत्पादन में विरित होते उनके लिए सरकार ने एक ग्रामीण समुदाय संस्थानों के माध्यम से उन्हें नए उत्पादन कार्यों में लगाने की व्यवस्था की। इसी उद्देश्य से सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का भी निर्माण किया गया। **1936** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निश्चित करार दिए जाने के पश्चात उसी वर्ष भूमि संरक्षण एक्ट पारित किया गया था। जिसके अंतर्गत सरकार ने सहायक मूल्य देने की व्यवस्था की जो अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा संरक्षण हेतु छोड़ने के लिए तैयार होते। इस कानून द्वारा भूमि गरीबों को मकान उपलब्ध कराकर रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी। **1938** में सिक्कोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई जिसका कार्य किराए भूमि पर खेती करने वाले किसानों को उपलब्ध करवाकर उन्हें भूस्वामी बनने में सफल बनाना था।